रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 1975/पौष 1, 1897

No. 249] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 1975/PAUSA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

New Delhi, 22nd December 1975

No. DRAWBACK/PN-93/75.—In Public Notice No. 53/75 published in Part I, Section (1) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17th June, 1975, the Central Government hereby makes the following correction therein:—

(1) The words 'and wool content' and "and the wool mentioned at (e) above is only imported duty paid wool" appearing under proviso (i) to the sub-item (e) of item (A) of Sub-Serial No. 2502 shall be omitted.

(2) The words 'and wool content' appearing in the proviso under clause (C) of Sub-Serial No. 2503 shall be omitted.

(3) For the existing proviso (b) under Sub-item (i) of item (c) of Sub-Serial No. 2503, the following proviso shall be inserted, namely:—

'(b) that yarn used under item (e) and (f) above is worsted.'

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1975

सं० प्रतिभूतियागी/सा० सू०-93/75.—भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 जून, 1975 के भाग I खण्ड (1) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० 53/75 में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(1) उप-क्रमांक 2502 की मद (क) की उप-मद (ङ) के परन्तुक (i) में "और ऊन अन्तर्वस्तु" और "तथा ऊपर (ङ) पर उल्लिखित ऊन केवल आयातित शुल्क-प्रदत्त ऊन है।" प्रयुक्त शब्द हटा दिये जायेंगे ।

(2) उप-क्रमांक 2503 के खण्ड (ग) के नीचे परन्तुक में प्रयुक्त "और ऊन अन्तर्वस्तु" शब्द हटा दिये जायेंगे ।

(3) उप-क्रमांक 2503 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (1) के अधीन प्रवर्तमान परन्तुक (ख) के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(ख) कि उपयुक्त मद (ङ) और (च) में प्रयुक्त धागा वर्सटेड है।"

सी० भुजंगस्वामी, उप-सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975